रजिस्टर्ड नं० HP/13/SML/2003.

राजपत्र, हिमाचल प्रदेश

(असाधारण)

हिमाचल प्रदेश राज्य शासन द्वारा प्रकाशित

शिमला, शनिवार, 20 मार्च, 2004/30 फाल्गुन, 1925

राज्य निर्वाचन आयोग, हिमाचल प्रदेश

अधिसूचना

शिमला-2, 18 मार्च, 2003

संख्या रा० नि० आ० 16-29/2000-436.—हिमाचल प्रदेश में शहरी स्थानीय निकायों तथा पंचायती राज संस्थाओं के निर्वाचनों को स्वतन्त्र, निष्पक्ष, समयबद्ध, सुचारु एवं शान्तिपूर्ण ढंग से करवाने हेतु इन संस्थाओं के कार्यकाल के पूर्ण होने के दिन से तुरन्त पूर्व के 180 दिनों की अवधि में इनके क्षेत्र तथा सीमाओं में किसी भी परिवर्तन को रोकना उचित, वांछनीय व आवश्यक समझा गया है।

अतः भारत के संविधान के अनुच्छेद 243-ट तथा 243-य क, हि० प्र० नगरपालिका अधिनियम, 1994 की धारा 281 तथा हि० प्र० पंचायती राज अधिनियम, 1994 की धारा 160 के द्वारा आयोग में निहित शक्तियों तथा इसे ऐसा करने हेतु प्रदत्त अन्य समस्त शक्तियों का उपयोग करते हुए हिमाचल प्रदेश राज्य निर्वाचन आयोग हिमाचल प्रदेश नगरपालिका एवं पंचायत आदर्श आचार संहिता, 2000 को संशोधित करता है तथा इस उद्देश्य से हि० प्र० आदर्श आचार संहिता (द्वितीय संशोधन), 2004 निर्मित तथा जारी करता है।

4427-राजपत्र/2004-20-3-2004—1,411. (3773) मूल्य : 1 रुपया।

1. संक्षिप्त नाम.—1.1. इस संहिता का नाम हि0प्र0 नगरपालिका तथा पंचायत आदर्श आचार संहिता (द्वितीय संशोधन), 2004 होगा ।

1.2. यह संहिता (द्वितीय संशोधन) 21 मार्च, 2004 से लागू तथा प्रभावी होगी ।

2. संगठनात्मक स्थिति को यथावत रखना —2.1 हि0 प्र0 नगरपालिका तथा पंचायत आदर्श आचार संहिता, 2000 के अनुछेद 8-क के स्थान पर अधोलिखित नया अनुच्छेद प्रतिस्थापित किया जायेगा :—

"किसी भी ग्राम सभा/नगरपालिका के पांच वर्ष का कार्यकाल पूर्ण होने से तुरन्त पूर्व के 180 दिन की अवधि में उसके अधिकार क्षेत्र से कोई भी क्षेत्र निकाला नहीं जाएगा और न ही उसमें कोई अन्य क्षेत्र सम्मिलित किया जा सकेगा तथा इस बारे में पहले से लिया गया कोई भी निर्णय उस परिस्थिति के सिवाए, लागू नहीं होगा, जबकि ऐसा निर्णय अन्तिम रूप से ले लिया गया हो तथा इसकी अधिसूचना हि0 प्र0 राजपत्र में प्रकाशित हो चुकी हो और सम्बन्धित राजपत्र की प्रति आयोग के सचिवालय में ऊपरलिखित अवधि के शुरू होने से पूर्व प्राप्त हो गई हो ।"

किसी ग्राम पंचायत/नगरपालिका के भंग होने के फलस्वरूप होने वाले उप-निर्वाचन के उपरान्त होने वाले सामान्य चुनाव के लिए पांच वर्ष के कार्यकाल की गणना उसके भंग होने से पूर्व के अन्तिम सामान्य निर्वाचन के दिन से की जाएगी ।

किसी ग्राम पंचायत/नगरपालिका के भंग होने के दिन से 180 दिन तक उस ग्राम सभा/नगरपालिका के क्षेत्र में ऊपरलिखित अनुच्छेद में वर्जित किसी भी प्रकार के परिवर्तन के आदेश न तो पारित और न ही लागू किए जा सकेंगे ।

आदेश द्वारा,

कृष्ण चन्द्र शर्मा,
राज्य निर्वाचन आयुक्त ।

STATE ELECTION COMMISSION, HIMACHAL PRADESH

NOTIFICATION

Shimla-2, the 18th March, 2004

No. SEC-16-29/2000-436.—Whereas it is considered appropriate, desirable and necessary in the interest of free, fair, timely, smooth, orderly and peaceful conduct of elections to the Urban Local Bodies and Panchayati Raj Institutions in the State of Himachal Pradesh to prohibit any change in their territory and boundaries during a period of 180 days immediately preceding the date on which elections to them would be due;

Now, therefore, in exercise of the powers vesting in it under Articles 243 K and 243ZA of the Constitution of India, Section 281 of the Himachal Pradesh Municipal Act, 1994 and Section 160 of the Himachal Pradesh Panchayati Raj Act, 1994 and all other powers enabling it in this behalf, the State Election Commission of Himachal Pradesh hereby amends the Himachal Pradesh Municipalities and Panchayats Model Code of Conduct, 2000, and, with this end in view, makes and issues the Himachal Pradesh Municipalities and Panchayats Model Code of Conduct (Second Amendment), 2004:—

1. *Short title*—1.1. This Code shall be called the Himachal Pradesh Municipalities and Panchayats Model Code of Conduct (Second Amendment), 2004.

1.2. This Code (Amendment) shall come into force and be applicable on and from 21 March, 2004.

2. *Organisational Status Quo*—2.1. In the Himachal Pradesh Municipalities and Panchayats Model Code of Conduct, 2000, for Paragraph 8-A, the following new Paragraph 8-A shall be substituted :

"No area shall be excluded from or added to the territorial jurisdiction of any Gram Sabha/Municipality during a period of 180 days immediately preceding the date on which the five year term of the Panchayat/Municipality is due to expire and no decision taken in this behalf earlier shall be implemented during this period unless the decision has been finally taken and a notification in evidence thereof published in the Rajpatra and a copy of the relevant issue of the Rajpatra has been received in the Secretariat of the Commission before the commencement of the above mentioned period :

Provided that in case of a general election to the Gram Panchayats/Municipality after its bye-election following its dissolution, the five year period shall be computed from the date of the last pre-dissolution general election :

Provided further that no alteration to the territorial jurisdiction of a Gram Sabha/ Municipality of the type contemplated in this paragraph above shall be ordered and implemented during a period of 180 days from the date of its dissolution."

By order,

K. C. SHARMA,
State Election Commissioner,
Himachal Pradesh.

नियन्त्रक, मुद्रण तथा लेखन सामग्री, हिमाचल प्रदेश, शिमला-5 द्वारा मुद्रित तथा प्रकाशित